संख्या : 43-दो(2)/XXXVI(1)(2)/2007-14-दो(2)/07

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2 देहरादून : दिनांक : 12 मार्च, 2008

विषयः- सिविल न्यायालय(अवर खण्ड), रामनगर में 10-के०वी०ए०डी०जी० सैट का जनरेटर एवं दीवानी न्यायालय, हल्द्वानी में 25-के०वी०ए०डी०जी० का जनरेटर स्थापित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2007-2008 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-569/यूएचसी/एडमिन-बी./निर्माण-2008, दिनांक 21.2.2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिविल न्यायालय(अवर खण्ड), रामनगर में 10-के०वी०ए०डी०जी० सैट का जनरेटर एवं दीवानी न्यायालय, हल्द्वानी में 25-के०वी०ए०डी०जी० का जनरेटर स्थापित किये जाने हेतु प्रेषित क्रमशः रु० 3,26,000/- एवं रु० 5,00,500/- के आगणन के सापेक्ष टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित क्रमशः रु० 3,17,000/-(तीन लाख सत्रह हजार मात्र) एवं रु० 5,00,000/-(पांच लाख रुपये मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2007-08 में रु० 8,17,000/-(3,17,000 + 5,00,000) (आठ लाख सत्रह हजार मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की भी स्वीकृति महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) पुराने जनरेटर के निष्प्रयोज्यता से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही(निष्प्रयोज्य घोषित करना, उसकी नीलामी एवं अर्जित राशि को राजकोष में जमा करना आदि) नए जनरेटर के क्रय की स्वीकृति के तीन माह के अन्दर पूर्ण कर, उक्त कार्यवाही के पूर्ण करने के समस्त साक्ष्य शासन को इसी अवधि में उपलब्ध करा दी जाय । यदि उक्त कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण न करने के फलस्वरूप राज्य सरकार को राजस्व में कोई हानि होती है, तो उसकी वसूली सम्बन्धित पद धारक से की जायेगी ।

(2) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा । तद्पोरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी ।

(3) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यो के विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, तद्पोरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।

(4) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जाय ।

(5) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्यो को सम्पादित किया जाय ।

(6) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।

(7) कार्य कराते समय यह सुनिश्चित करले कि पर्चेज नियमों एवं नार्मस से अधिक किसी भी स्थिति में व्यय न की जाय । इसका पूर्ण दायित्व कार्यकारी इकाई का होगा ।

(8) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता पूर्णरुप से उत्तरदायी होगें ।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2008 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन्स न्यायालय-03-जिला तथा सेशन न्यायाधीश-12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण" के नामें डाला जायेगा ।

4. यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-1462/XXVII(5)/2008, दिनांक 11.3.2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)
सचिव ।

संख्या : 43-दो(2)/XXXVI(1)(2)/2007-08-14-दो(2)/07-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
2. जिला न्यायाधीश, नैनीताल ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
4. अधिशासी अभियन्ता, वि०/यां० खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बाजपुर ।
5. नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन ।
6. एन०आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।